बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-02/एम0एम0(बा0)-08/17-................../एम0, पटना, दिनांक-................

प्रेषक,

E-mail/
Whats-app

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (मु0)

सेवा में,

सभी उप निदेशक
सभी सहायक निदेशक
सभी खनिज विकास पदाधिकारी
सभी खान निरीक्षक।

विषयः- बालूघाटों पर धर्मकाँटा के अधिष्ठापन के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय ज्ञापांक 3261, दिनांक 07.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दिनांक 06.08.18 को विशेष सचिव-सह-निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में बालूघाटों पर धर्मकाँटा के अधिष्ठापन तथा अन्य मुद्दों पर बालूघाट बंदोबस्तधारियों के साथ हुए विमर्श के क्रम में विभागीय स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.10.18 के उपरांत धर्मकाँटा से जुड़े बालूघाटों से ही चालान निर्गत किया जायेगा।

उक्त कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अपने प्रभाराधीन जिलान्तर्गत सभी बालूघाटों को धर्मकाँटा से टैग करने हेतु संबंधित बंदोबस्तधारी को अपेक्षित/आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश देना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक (मु0)

Fax/E-mail

ज्ञापांकः-...3369.................../एम0 पटना दिनांक ...20/8/18.........

प्रतिलिपि :- सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/18

सहायक निदेशक (मु0)

D/sanjay/Alokji/Sand Draft

(126)

विशेष सचिव–सह–निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बालूघाटों पर धर्मकाँटा के अधिष्ठापन तथा अन्य मुद्दों पर विमर्श हेतु बालूघाट बंदोबस्तधारियों की बैठक दिनांक–06.08.2018 की कार्यवाही :–

उपस्थिति संलग्न :–

सर्वप्रथम विशेष सचिव–सह–निदेशक द्वारा बैठक में उपस्थित सभी बालूघाट बंदोबस्तधारियों का स्वागत करते हुए बालूघाटों पर धर्मकाँटा के अधिष्ठापन से संबंधित सभी बिन्दुओं पर समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत निम्न निर्णय लिये गए :–

1. मानसून अवधि के पश्चात् जिलान्तर्गत सभी बालूघाटों को धर्मकाँटा से Tag किया जाना है।
2. इस क्रम में बंदोबस्तधारियों से विमर्शोपरांत यह स्पष्ट किया गया कि सभी बालूघाटों पर धर्मकाँटा अनिवार्य नहीं है, परन्तु सभी बालूघाटों को किसी न किसी धर्मकाँटा से Tag होना चाहिए अर्थात अगर एक से अधिक बालूघाट आस–पास हो तो निकटतम स्थल पर सुविधानुसार एक धर्मकाँटा स्थापित किया जाय एवं पास के सभी बालूघाटों को इससे Tag किया जाए।
3. मानसून अवधि के पश्चात अर्थात 01 अक्टूबर 2018 के उपरांत धर्मकाँटा से जुड़े बालूघाटों से ही चालान निर्गत किया जायेगा।
4. धर्मकाँटा के अधिष्ठापन वाले Entry/Exit प्वाईट पर CCTV कैमरा लगा होना चाहिए ताकि प्रत्येक वाहन का वजन की जानकारी प्राप्त हो एवं पारदर्शिता बनी रहें।
5. सभी धर्मकाँटा को विभागीय System से Integrate कराना आवश्यक है इसलिए धर्मकाँटा तथा CCTV के अधिष्ठापन के उपरांत विभाग द्वारा निर्धारित मानकों पर अपेक्षित कार्य संपादन हेतु तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी को प्रशिक्षण हेतु विभाग में भेजने का निदेश सभी बंदोबस्तधारियों को दिया गया।
6. PMU को निदेशित किया गया कि एतद् संबंधी कार्य योजना की रूपरेखा 15 कार्य दिवस के भीतर तैयार करते हुए अपेक्षि कार्रवाई किया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

ह0 / –
(असंगबा चुबा आओ)
विशेष सचिव–सह–निदेशक,
खान एवं भूतत्व विभाग।

ज्ञापांकः–............................ / एम0, दिनांक–............................

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव कोषांग / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / उप निदेशक (मु0) / सहायक निदेशक (मु0) / PMU, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3261 / एम0, दिनांक– 07/8/18

प्रतिलिपिः– सभी उपनिदेशक / सभी सहायक निदेशक / सभी खनिज विकास पदाधिकारी / सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8-18

सरकार के अवर सचिव

D:\Manoj\Alok Jr\Proceding